



प्रेस नोट जनपद बागपत


थाना दोघट

दिनांक-27.12.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 236/2024 धारा
191(2)/191(3)/190/3(5)/103/109 BNS में वाँछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.08.2024 को थाना दोघट पर वादी मयंक पुत्र मुकेश निवासी ग्राम अटेरना थाना कुण्डली जनपद सोनीपत हरियाणा ने सूचना दी कि दिनांक 02.08.2024 को हरिद्वार से कांवड लाते समय 20-25 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के भाई वंश पुत्र मुकेश व वादी के अन्य साथियों



1.रोहित पुत्र देवेन्द्र 2.विजय पुत्र संजय 3.नवीन पुत्र सत्ते 4.नीतेश पुत्र रणवीर सिंह 5.कर्ण पुत्र हरीश पर ईट, लाठी-डण्डे व चाकू से हमला किया गया । जिससे वादी का भाई वंश गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 236/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103/109 BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 236/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103/109 BNS में

वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 08 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-का0 1003 उपदेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 27.12.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम में वांछित 5000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.12.2024 को थाना बड़ौत पर वादी राजेश कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी बडका थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अंकुर पलडिया निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बड़ौत, 2.अभिषेक निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बड़ौत, 3.शिवा व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथी अक्षय व उसके दोस्त शुभम व जितेन्द्र के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जिसमें उनके पैर में गोली लग गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 815/24 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 815/24 धारा 109/3(5) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम में वांछित 5000 रुपये के इनामी

अभियुक्त शिवा को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 05 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 11-12-2024 को एक अभियुक्त अभिषेक पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवा पुत्र सुशील कुमार निवासी सूर्यनगर कविनगर रोहटा रोड मेरठ थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 यूटी श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6- का0 989 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 27.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 34/24 धारा 307/452/352/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.01.2024 को थाना बडौत पर वादी हरपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री जिले सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात 03 अभियुक्तों द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के ऊपर हमला कर वादी को गोली मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 34/24 धारा 452/352/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।



नोट- उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकल के आधार पर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 34/24 धारा 307/452/352/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

राजीव पुत्र छोटेलाल निवासी मौ० शिव विहार कॉलोनी कन्यापुरम थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी बड़ी होली कायस्थवाड़ा थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपता।
- 2-है०का० 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपता।
- 3-का० 433 गौरव कुमार थाना बडौत जनपद बागपता।

